

# डॉ० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

विश्वविद्यालय परिसर छात्र संघ 2017-18

## चुनाव नियमावली

मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा एस०एल०पी० (सी.) संख्या - 24297/2004 यूनिवर्सिटी आफ् केरला बनाम काउंसिल आफ् प्रिन्सिपल्स, कालेजेस, केरला एण्ड अदर्स व अन्य एस०एल०पी० (सी.) में पारित आदेश दिनांक 12.12.2005 के अनुपालन में देश में छात्र संघ चुनाव के सम्बन्ध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा श्री जे०एम० लिंगदोह (पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त) कमेटी का गठन किया गया था। लिंगदोह कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 26 मई 2006 को मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त एस०एल०पी० में पारित आदेश दिनांक 22.09.2006 द्वारा समस्त महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव हेतु लागू किये जाने के निर्देश पारित किये गये हैं। उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में लिंगदोह कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर छात्र संघ चुनाव कराये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या - सी०एम०-08/सत्तर-1-2012 दिनांक 21 मार्च 2012 द्वारा दिशा निर्देश कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश एवं निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को निर्गत किये गये हैं। उक्त दिशा निर्देशों के अनुरूप विश्वविद्यालय परिसर छात्र संघ चुनाव निम्न परिणियमावली के अनुसार सम्पन्न कराये जायेंगे। उत्तर प्रदेश शासन के दिशा निर्देश एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के मध्य किसी भी प्रकार की असंगति अथवा अनिश्चय/संदेह की स्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का वर्णित आदेश ही मान्य रहेगा।

### 1. संस्था का नाम :-

संस्था नाम “डॉ० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय परिसर छात्र संघ, आगरा” Dr. Bhim Rao Ambedkar University Campus Student's Union, Agra”

### 2. संस्था का उद्देश्य :-

1. परिसर में स्वस्थ सामूहिक जीवन को प्रोत्साहित करना।
2. विश्वविद्यालय परिसर में अच्छा शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करना।
3. विभिन्न सांस्कृतिक एवं खेल-कूद कार्यक्रमों के आयोजन में सहयोग करना।

### 3. संस्था के पदाधिकारी :-

#### (i) अध्यक्ष

डॉ० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय परिसर छात्रसंघ के अध्यक्ष को परिसर के समस्त विद्यार्थियों द्वारा सीधे चुनाव के माध्यम से चुना जायेगा।

#### (ii) उपाध्यक्ष

उपाध्यक्ष को भी परिसर के समस्त विद्यार्थियों द्वारा सीधे चुनाव द्वारा चुना जायेगा। वह अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के सभी कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। यदि अध्यक्ष त्यागपत्र दे देता है अथवा शेष कार्यकाल के लिए कार्य करने में असमर्थ होता है तो उपाध्यक्ष स्वतः ही कार्यवाहक अध्यक्ष होगा।

- (iii) महासचिव  
डॉ० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय परिसर का महासचिव समस्त विद्यार्थियों द्वारा सीधे चुनाव से चुना जायेगा।
- (iv) संयुक्त सचिव  
संयुक्त सचिव परिसर के समस्त विद्यार्थियों द्वारा सीधे चुनाव से चयनित किया जायेगा। वह महासचिव की अनुपस्थिति में उसके समस्त उत्तरदायित्वों का वहन करेगा। यदि महामंत्री त्यागपत्र दे देता है अथवा शेषकाल के लिए कार्य करने में असमर्थ होता है तो संयुक्त सचिव स्वतः ही कार्यवाहक महासचिव होगा।
- (v) पुस्तकालय सचिव  
पुस्तकालय सचिव को भी परिसर के समस्त विद्यार्थियों द्वारा सीधे चुनाव के माध्यम से चुना जायेगा।  
यहां समस्त विद्यार्थियों से आशय विश्वविद्यालय के विभिन्न संस्थानों/विभागों में अध्ययनरत योग्य मतदाताओं से है ।
- (vi) संकाय प्रतिनिधि  
निम्न संकायों के प्रतिनिधि केवल सम्बन्धित संकायों के विद्यार्थियों द्वारा सीधे चुनाव के माध्यम से ही चुने जायेंगे ।
- (i) अभियान्त्रिकी संकाय प्रतिनिधि  
(ii) गृह विज्ञान संकाय प्रतिनिधि  
(iii) प्रबन्धन संकाय प्रतिनिधि  
(iv) कला संकाय प्रतिनिधि  
(v) विज्ञान संकाय प्रतिनिधि  
(vi) लाइफ साइंस संकाय प्रतिनिधि  
(vii) ललित कला संकाय प्रतिनिधि

चयनित पदाधिकारी अपने पद पर कार्य नहीं कर पायेंगे यदि :-

- (अ) वह अधिष्ठाता छात्र कल्याण को सम्बोधित करते हुए त्यागपत्र देता है तो उसे अधिष्ठाता छात्र कल्याण द्वारा उसके त्यागपत्र स्वीकार करने की तिथि से पदच्युत माना जायेगा।
- (ब) विश्वविद्यालय का शुल्क जमा नहीं करने अथवा अन्य किसी कारण से उसकी छात्र-पात्रता समाप्त कर दी गई हो।
- (स) उसे विश्वविद्यालय द्वारा गम्भीर दुराचरण का दोषी पाया जाता है।
- (द) उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया गया है।
- (य) वह विद्यार्थी न हो।

4. छात्र संघ के पदाधिकारियों का कार्यकाल :-

छात्रसंघ का कार्यकाल छात्र संघ चुनाव 2017-18 द्वारा चयनित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण से लेकर 15 मई 2018 तक का होगा।

5. संस्था के पदाधिकारियों के चुनाव हेतु गठित समितियां:-

छात्र-संघ चुनाव का संचालन कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के अध्यापकों में से नामित मुख्य चुनाव अधिकारी के निर्देशन में कराया जायेगा। मुख्य चुनाव अधिकारी निर्वाचन के सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया का पालन कराना सुनिश्चित करेगा। मुख्य चुनाव अधिकारी को चुनाव प्रक्रिया में सहायता प्रदान करने के लिये कुलपति द्वारा आवश्यक संख्या में शिक्षक/शिक्षणोत्तर सदस्यों को नामित किया जायेगा जो चुनाव अधिकारी के साथ कार्य करके चुनाव प्रक्रिया को नियमानुसार सम्पन्न करायेंगे। चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष मुख्य चुनाव अधिकारी एवं संरक्षक कुलपति होंगे। मुख्य चुनाव अधिकारी अपने सहयोग के लिये कुलपति की सहमति से अन्य चुनाव अधिकारियों को नामित कर सकते हैं।

कुलपति द्वारा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु निम्न समितियों का गठन किया जायेगा ।

1. चुनाव संचालन समिति
2. शिकायत समाधान प्रकोष्ठ
3. मुख्य चुनाव अधिकारी व चुनाव अधिकारी

उपरोक्त के अतिरिक्त चुनाव प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु कुलपति सुविधानुसार अन्य समितियां गठित कर सकते हैं यथा मतदान एवं मतगणना हेतु विभिन्न पर्यवेक्षक मण्डल, परिसर में कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु अतिरिक्त प्रानुशासकों की नियुक्तियां इत्यादि ।

6. डॉ० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय परिसर छात्रसंघ, आगरा हेतु चुनाव नियमावली:-

1. परिसर के छात्रसंघ का चुनाव निश्चित समय पर हुआ करेगा, जो अधिष्ठाता छात्र कल्याण द्वारा निर्धारित की जायेगी। वे चाहें तो इस समय में परिवर्तन कर सकते हैं। चुनाव सामान्य बहुमत मतदान द्वारा होगा।
2. चुनाव की अधिसूचना, नामांकन पत्र भरने से लेकर प्रचार के समय एवं परिणाम घोषित किये जाने सहित सम्पूर्ण प्रक्रिया अधिकतम 10 दिनों के मध्य होगी।
3. चुनाव की तिथि की घोषणा अधिष्ठाता छात्र कल्याण/कुलसचिव द्वारा की जायेगी।
4. अधिष्ठाता छात्र कल्याण अपने कार्यालय के सूचना पट पर नामांकन हेतु एक निश्चित तिथि और समय की अधिसूचना चस्पा करेंगे। इस तिथि के तुरंत पश्चात् विभिन्न पदों के लिए प्राप्त हुए नामांकनों की सूची अधिष्ठाता छात्र कल्याण द्वारा अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर लगा दी जायेगी।
5. किसी भी अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के विरुद्ध यदि कोई शिकायत (शिकायतें) हों तो लिखित में वह शिकायत मुख्य चुनाव अधिकारी को निर्धारित तिथि तक दी जा सकेगी।
6. मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा घोषित नामांकन की तिथि के बाद एक निर्धारित तिथि और समय पर प्राप्त हुए नामांकन पत्रों की जांच की जायेगी। इसके तुरंत बाद सही पाए गए नामांकन पत्रों के प्रत्याशियों के नाम अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय के सूचना पट पर प्रदर्शित करेंगे।

7. मतदान अधिष्ठाता छात्र कल्याण द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय पर होगा। निर्धारित समय के बाद किसी भी मतदाता को मतदान कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
8. चुनाव से सम्बन्धित यदि कोई आपत्ति/आपत्तियां हो तो उनका निस्तारण मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा किया जायेगा। मुख्य चुनाव अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील का निस्तारण शिकायत समाधान प्रकोष्ठ द्वारा किया जायेगा।
9. मतदान हेतु मतपत्र का प्रारूप निम्नानुसार होगा

## विश्वविद्यालय परिसर छात्र संघ चुनाव 2017-18

### University Campus Students Union Election 2017-18

..... पद/प्रतिनिधि का निर्वाचन

(अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में प्रत्याशियों के नाम)

- 1.
- 2.
- 3.

- नोट : (अ) मतपत्र पर प्रत्याशी का नाम हिन्दी व अंग्रेजी में मुद्रित होगा ।
- (ब) प्रत्याशियों के नाम के अन्त में **None of the Above** (इनमें से कोई नहीं) विकल्प दिया जायेगा । इसका प्रभाव चुनाव परिणामों पर नहीं पड़ेगा ।
10. मतदान के लिये विद्यार्थियों का मत-पत्र पर हस्ताक्षर करना वर्जित होगा। जिस प्रत्याशी को मत देना हो उसके नाम के आगे निर्धारित स्थान पर मुहर लगानी होगी। मतपत्र पर एक से अधिक प्रत्याशियों को मत देने की स्थिति में या मत-पत्र पर हस्ताक्षर या पहचान का कोई अन्य चिन्ह बनाये जाने पर वह मतपत्र निरस्त माना जायेगा ।
  - (11) प्रत्येक मतदान केन्द्र एक मतदान अधिकारी के प्रभार में होगा जिसे उस मतदान केन्द्र के मतदाताओं की सूची उपलब्ध करायी जायेगी। वह इस सूची पर मतदाताओं को दिए गये मत पत्रों के क्रम संख्या अंकित करेगा तथा मतदाताओं से हस्ताक्षर प्राप्त करेगा।
  - (12) मुख्य चुनाव अधिकारी कुलपति की सहमति से सभी मतदान केन्द्रों पर पर्यवेक्षक नियुक्त कर सकता है ।
  - (13) सम्पूर्ण चुनाव कार्यक्रम अधिष्ठाता छात्र कल्याण द्वारा जारी किया जायेगा ।
  - (14) मतदाता मत पत्र प्राप्त करने के बाद तुरन्त ही मतदान पेटी के पास जायेगा और अपना मत देकर मत पत्र को मतपेटी में डालेगा/डालेगी। मतपत्र मतपेटी में डालना अनिवार्य है, भले ही किसी भी प्रत्याशी को मत न दिया गया हो। मतदान के समय कोई भी सामग्री मतदान केन्द्र से बाहर नहीं ले जाई जायेगी।
  - (15) मतदान के प्रारम्भ में व मतदान समाप्त होने के पश्चात् मतदान अधिकारी प्रत्येक मत पेटी को प्रत्याशियों या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में बन्द करेगा।
  - (16) मुख्य चुनाव अधिकारी मत पेटियों को अपनी निगरानी में सुरक्षित रखेगा तथा वह इसके लिये उत्तरदायी होगा।

- (17) मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व मुख्य चुनाव अधिकारी मतगणना का समय व स्थान की घोषणा करेगा। प्रत्येक स्थिति में मतगणना का कार्य मतदान समाप्त होने के पश्चात् उसी दिन आरम्भ होगा। मतगणना परिणाम घोषित होने तक लगातार चलती रहेगी।
- (18) मतगणना का कार्य प्रत्याशियों या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में मुख्य चुनाव अधिकारी के निर्देशन में चुनाव संचालन समिति करायेगी। मुख्य चुनाव अधिकारी, कुलपति की सहमति से आवश्यकतानुसार मतगणना अधिकारी/सहायकों की नियुक्ति कर सकेगा।
- (19) मतगणना के समय मुख्य चुनाव अधिकारी सन्देहपूर्ण मतपत्रों की वैधता के विषय में निर्णय करेगा। सन्देह के सभी मामलों में उसका निर्णय अन्तिम होगा।
- (20) चुनाव परिणाम मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा मतगणना समाप्त हो जाने पर घोषित कर दिया जायेगा। यदि किसी भी पद के उम्मीदवार में कोई बराबरी होती है अर्थात् उनके मत बराबर होते हैं, तो मामले का निस्तारण मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा ड्रा के माध्यम से किया जायेगा।
- (21) चुनाव परिणामों के विरुद्ध शिकायत परिणाम घोषित होने के 24 घंटे के अन्दर पुनः विचार के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी के समक्ष की जा सकेगी। मुख्य चुनाव अधिकारी ऐसी शिकायत पर 24 घंटे के अन्दर निर्णय देगा। उसके निर्णय के विरुद्ध संरक्षक (कुलपति) से 24 घंटे के अन्दर अपील की जा सकेगी। संरक्षक (कुलपति) ने अन्यथा कोई आदेश न दिया हो, इस स्थिति में मतपत्रों का नष्ट किया जाना संरक्षक के निर्णय तक रोका जायेगा। मुख्य चुनाव अधिकारी, संरक्षक (कुलपति) की सहमति से मत-पत्रों को उचित समय पर नष्ट करेंगे।
- (22) निर्वाचन से सम्बन्धित सभी सूचनायें मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय के सूचना पट्ट पर अनिवार्य रूप से लगायी जायेगी।
- (23) निर्वाचन पदाधिकारियों व प्रतिनिधियों का प्रतिष्ठापन एवं शपथ ग्रहण :-
- मुख्य चुनाव अधिकारी चुनाव परिणाम घोषित होने के दस दिन के अन्दर छात्र संघ के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रतिष्ठापन समारोह में निम्नलिखित प्रारूप में शपथ दिलायेगा। शपथ ग्रहण समारोह की अध्यक्षता कुलपति (संरक्षक) या प्रति कुलपति, (यदि हो) अथवा वरिष्ठतम संकाय अधिष्ठाता वरिष्ठताक्रम में जो भी उपस्थिति हो करेगा :-

### प्रारूप

“मैं (नाम) ..... सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि छात्र संघ के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/महामंत्री/पुस्तकालय सचिव/संकाय प्रतिनिधि ..... के दायित्व का सत्य निष्ठा पूर्वक पालन करूंगा/करूंगी और अपनी योग्यता की उत्कृष्ट सीमा तक इसके लक्ष्यों को पूरा करूंगा/करूंगी और छात्र संघ नियमावली में वर्णित नियमों का परिरक्षण, संरक्षण व प्रतिरक्षण करूंगा/करूंगी और अपने आप को छात्रसंघ के सदस्यों के कल्याण एवं सेवा में अर्पित करूंगा/करूंगी।

7. संस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के पदों पर चुनाव में प्रतिभाग करने हेतु प्रत्याशियों हेतु अर्हता :-
- (i) केवल ऐसे छात्र/छात्रा जो विश्वविद्यालय के किसी संस्थान/विभाग के पूर्ण कालिक संस्थागत छात्र/छात्रा के रूप में अध्ययनरत हैं, ही छात्र संघ चुनाव 2017-18 में भाग ले सकेंगे ।
- (ii) ऐसे छात्र/छात्रा जो किसी भी पद हेतु आवेदन कर रहे हैं, आवश्यक रूप से किसी भी स्थिति में राजनीतिक दलों से सम्बद्ध नहीं होंगे । अन्यथा की स्थिति में सम्बद्ध पाये जाने पर उनका अभ्यर्थन/निर्वाचन निरस्त किया जा सकता है ।
- (iii) प्रत्याशियों हेतु आयु की अर्हता का मानदण्ड  
डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा परिसर छात्र संघ चुनाव 2017-18 में प्रतिभाग हेतु प्रत्याशियों की न्यूनतम आयु 17 वर्ष होगी तथा अधिकतम आयु निम्न प्रकार होगी ।
- 1.(अ) स्नातक स्तर तीन वर्षीय पाठ्यक्रमों हेतु अधिकतम आयु 22 वर्ष होगी ।
  - (आ) स्नातक स्तर चार वर्षीय पाठ्यक्रमों हेतु अधिकतम आयु 23 वर्ष होगी ।
  - (इ) स्नातक स्तर ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक स्तर पाठ्यक्रम है उदाहरण - बी0पी0एड0, के लिये अधिकतम आयु 24 वर्ष होगी ।
  - (ई) स्नातक स्तर के बाद कम से कम एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु अधिकतम आयु 24 वर्ष होगी ।
2. स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु 25 वर्ष होगी।
  3. एम.फिल. विद्यार्थियों के लिये चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु 28 वर्ष होगी
  4. माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन एवं कार्य परिषद की बैठक के संकल्प संख्या 5 दिनांक 12.01.2013 के निर्णयानुसार पी-एच0डी0 (शोधरत) छात्रों हेतु अधिकतम आयु 30 वर्ष होगी ।
- (iv) प्रत्याशियों के लिये किसी भी दशा में अनुत्तीर्णता अथवा शैक्षिक बकाये की स्थिति नहीं होनी चाहिए। यहां शैक्षिक बकाये का अर्थ वर्तमान सत्र/सेमिस्टर में नामांकन की तिथि तक घोषित परीक्षा परिणामों में विद्यार्थी का समस्त सत्र/सेमिस्टर उत्तीर्ण होना आवश्यक है । ऐसे पाठ्यक्रमों जिनमें एक या एक से अधिक प्रश्न पत्रों में अनुत्तीर्ण होने पर भी छात्र को अगले सत्र/सेमिस्टर में प्रोन्नत कर दिया जाता है और छात्र को पुनः परीक्षा (री-एग्जाम) देने का अवसर दिया जाता है ऐसे सभी विद्यार्थी शैक्षिक बकाये की परिधि में माने जायेंगे और वह किसी भी पद हेतु आवेदन करने के लिये अर्ह नहीं होंगे । इस प्रकार नामांकन हेतु किसी भी छात्र पर वर्तमान शैक्षिक सत्र/सेमिस्टर में कोई भी शैक्षिक बकाया नहीं होना चाहिए।
- (v) चुनाव की अधिसूचना जारी होने की तिथि तक जिन छात्रों पर वर्तमान सेमिस्टर/सत्र जिसमें चुनाव हो रहा है तक का किसी भी प्रकार का शुल्क (शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क आदि) बकाया नहीं है वही छात्र/छात्रा चुनाव लड़ने हेतु अर्ह होंगे ।
- (vi) उम्मीदवार द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम उपस्थिति अथवा 75 प्रतिशत उपस्थिति, जो भी अधिक हो पूरी की जानी चाहिए तथा उक्त प्रमाण पत्र विभागाध्यक्ष/सम्बन्धित निदेशक द्वारा सत्यापित होना चाहिए ।

- (vii) किसी भी अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय परिसर छात्र संघ के पदाधिकारी के पद पर चुनाव लड़ने के लिए केवल एक ही अवसर प्राप्त होगा।
- (viii) किसी भी उम्मीदवार की पूर्व आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होनी चाहिए। अर्थात् पूर्व में उस पर कोई मुकदमा नहीं चला हो अथवा वर्तमान में आपराधिक मुकदमा न्यायालय में लम्बित न हो और/अथवा वह किसी आपराधिक कृत्य के लिए दण्डित न हुआ हो अथवा उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हुई हों। ऐसा होने की दशा में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन अथवा उसका निर्वाचित पद, जैसी भी स्थिति हो, से हटा दिया जायेगा।
- (ix) मतदाता/उम्मीदवार अनिवार्य रूप से विश्वविद्यालय के किसी संस्थान/विभाग के पाठ्यक्रम का पूर्णकालिक नियमित विद्यार्थी होना चाहिए। वह दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम अथवा इसके समतुल्य किसी पाठ्यक्रम का छात्र/छात्रा नहीं होना चाहिए। अर्थात् सभी अर्ह उम्मीदवारों के लिए पूर्णकालिक नियमित एवं कम से कम एक वर्ष के पाठ्यक्रम में नामांकित होना अनिवार्य है।
- (x) किसी भी प्रत्याशी द्वारा नामांकन पत्र अपूर्ण रूप से भरे जाने पर या त्रुटिपूर्ण होने पर निरस्त किया जा सकता है ।
- (xi) किसी भी प्रत्याशी द्वारा शपथ पत्र के (बिन्दु संख्या 1 से 10 तक) अपूर्ण रूप से दिये जाने की स्थिति में उसका नामांकन निरस्त किया जा सकता है ।
- (xii) प्रत्याशी की आयु का निर्धारण नामांकन की तिथि से प्रभावी होगा ।
- (xiii) एक प्रत्याशी केवल एक पद हेतु ही चुनाव लड़ सकता है । यदि कोई प्रत्याशी एक से अधिक पदों के लिये नामांकन करता है और नाम वापसी तक केवल एक पद छोड़कर अन्य पदों से नाम वापस नहीं लेता है तो उसका नामांकन सभी पदों से निरस्त कर दिया जायेगा।
- (xiv) अधिकतम व्यय सीमा रूपये 5000/- (पांच हजार रूपये मात्र) प्रति उम्मीदवार ही अनुमन्य है।
- (xv) चुनाव परिणाम की घोषणा के सात दिन के अन्दर प्रत्येक उम्मीदवार को अपना पूर्ण एवं अभिप्रमाणित व्यय-विवरण विश्वविद्यालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा (प्रत्याशी अपना व्यय-विवरण स्वयं अभिप्रमाणित करेगा)। व्यय विवरण प्राप्ति के दो दिनों के अन्दर विश्वविद्यालय अधिकारी अंकेक्षित व्यय-विवरण उचित माध्यम से प्रकाशित करेंगे ताकि छात्र संघ का कोई भी सदस्य स्वतंत्र रूप से उसका अवलोकन कर सके।
- (xvi) व्यय-विवरण प्रस्तुत करने सम्बन्धी उपर्युक्त निर्देश/व्यवस्था का अनुपालन न किये जाने अथवा निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित उम्मीदवार का निर्वाचन निरस्त कर दिया जायेगा।
- (xvii) छात्र संघ चुनावों में किसी भी राजनीतिक दल/संगठन के धन का प्रयोग रोकने के लिए उम्मीदवारों को केवल छात्र निकायों/संगठनों से प्राप्त स्वैच्छिक अंशदान के उपयोग की ही अनुमति होगी।

## 8. पदाधिकारियों के निर्वाचन हेतु निर्धारित प्रक्रिया:-

- (1) प्रत्येक प्रत्याशी (संकाय प्रतिनिधि को छोड़कर) के नाम का प्रस्ताव एवं समर्थन विश्वविद्यालय का कोई भी नियमित छात्र जिसका नाम विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित मतदाता सूची में है कर सकता है।
- (2) संकाय प्रतिनिधि के लिये प्रस्तावक एवं अनुमोदक उसी संकाय का छात्र/छात्रा होना चाहिए।
- (3) प्रत्येक प्रत्याशी के नामांकन पर प्रत्याशी की स्पष्ट सहमति तथ कम से कम दो प्रस्तावकों एवं दो अनुमोदकों की स्पष्ट संस्तुति होनी चाहिए। इस हेतु प्रत्येक प्रस्तावक एवं अनुमोदक का नाम, कक्षा, सत्र/सेमिस्टर आदि सम्पूर्ण विवरण दिया जाना चाहिए।
- (4) चुनाव अधिकारी/नामित सदस्य नामांकन पत्र की सभी प्रविष्टियों का सत्यापन करेगा और उस पर प्राप्ति की तिथि लिखेगा।
- (5) चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन पत्रों की जांच करते समय प्रत्याशी उपस्थित रह सकते हैं।
- (6) नामांकन-पत्रों की वैधता के विषय में चुनाव अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।
- (7) चुनाव प्रक्रिया से नाम वापिस लिये जाने की सूचना सम्बन्धित प्रत्याशी द्वारा लिखित रूप में स्वयं चुनाव अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर निर्धारित समय से पूर्व प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- (8) चुनाव में प्रत्याशियों की अंतिम सूची घोषित किये जाने तथा मतदान तिथि के बीच कम से कम 48 घंटे का अन्तर होना चाहिए।
- (9) चुनाव अधिकारी विभिन्न पदों के लिये प्राप्त नामांकन पत्रों की जांच कर उनमें से वैध नामों की सूची अधिष्ठाता छात्र कल्याण विभाग के कार्यालय पर चस्पा करेगा।
- (10) निर्वाचन मुद्रित मत-पत्रों द्वारा सम्पन्न होगा। चुनाव अधिकारी द्वारा मतदान इस प्रकार कराया जायेगा कि मत-पत्र की गोपनीयता बनी रहे।
- (11) मतपत्र पर क्रमांक अंकित होंगे। ऐसे मत पत्र अवैध समझे जायेंगे जिन पर पहचान का कोई चिन्ह होगा ।

## 9 प्रत्याशियों/मतदाताओं हेतु आवश्यक दिशा निर्देश:-

छात्र संघ चुनाव के लिये निम्न दिशा निर्देशों का अनुपालन सभी प्रत्याशियों एवं मतदाताओं द्वारा अनिवार्य होगा ।

1. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय छात्र संघ निर्वाचन में आर्दश मानकों का पालन चुनाव प्रचार एवं मतदान के समय कठोरता से किया जायेगा ।
2. समस्त छात्र/छात्राओं का सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया में (नामांकन से लेकर मतगणना तक) विश्वविद्यालय के मुख्य कुलानुशासक द्वारा निर्गत पहचान पत्र के द्वारा ही विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश अनुमन्य होगा । पहचान पत्र के अभाव में परिसर में प्रवेश निषेध होगा ।
3. कोई भी उम्मीदवार जाति, सम्प्रदाय, धर्म, क्षेत्र एवं भाषा समूह के आधार पर छात्र-छात्राओं के बीच आपसी घृणा, वैमनस्य या तनाव पैदा नहीं करेगा अथवा तनाव प्रेरित करने वाली गतिविधियों में सम्मिलित नहीं होगा।



4. जब अन्य उम्मीदवारों/प्रतिद्वंद्वियों की आलोचना की जाये, तो वह उनकी नीतियों, कार्ययोजनाओं, पूर्व रिकार्ड और कार्य तक ही सीमित होना चाहिए। अन्य उम्मीदवारों या उनके समर्थकों के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे सभी पहलुओं, जिनका सम्बन्ध उनके सार्वजनिक क्रियाकलापों से न हो, की आलोचना से सभी उम्मीदवारों को परहेज करना होगा। किसी भी उम्मीदवार का चरित्र-हनन करना वर्जित होगा।
5. मत प्राप्ति के लिए जातिगत या साम्प्रदायिक भावना भड़काने वाली अपील वर्जित होगी। विश्वविद्यालय परिसर के अन्दर या बाहर किसी भी पूजा स्थल का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा।
6. सभी उम्मीदवारों के लिए किसी भी प्रकार के कदाचारपूर्ण आचरण और अपराध में संलिप्तता वर्जित है। मतदाताओं को रिश्वत देना, धमकाना, अन्य मतदाता के बदले मतदान करना, मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरों में प्रचार अथवा मतदाता-सम्पर्क करना, मतदान समाप्ति के पूर्व के 24 घंटे की अवधि में जनसभा करना तथा मतदान केन्द्र तक मतदाताओं को पहुँचाना या लाने-ले जाने के लिए वाहन की सुविधा प्रदान करना पूर्णतः वर्जित होगा।
7. चुनाव प्रचार अथवा सम्पर्क हेतु छपे हुए विज्ञापन, पर्चे या अन्य किसी भी प्रकार की मुद्रित प्रचार सामग्री के प्रयोग की किसी भी उम्मीदवार को अनुमति नहीं होगी। केवल हस्तलिखित विज्ञापनों/प्रचार सामग्रियों के प्रयोग की अनुमति होगी, बशर्ते वह निर्धारित व्यय सीमा के अंदर किए गए हों।
8. उम्मीदवार हस्तलिखित विज्ञापनों का प्रयोग/प्रदर्शन विश्वविद्यालय परिसर में सम्बन्धित मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा पूर्व में चिन्हित/घोषित स्थान पर ही कर सकते हैं।
9. उम्मीदवारों के लिए विश्वविद्यालय परिसर के बाहर जुलूस निकालना, सभा आयोजित करना, प्रचार करना या प्रचार सामग्री का वितरण करना सर्वथा वर्जित होगा।
10. कोई भी उम्मीदवार या उसका समर्थक विश्वविद्यालय की किसी भी सम्पत्ति को विरूपित अथवा नष्ट नहीं करेगा और न ही सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना उनका उपयोग करेगा। विश्वविद्यालय की सम्पत्ति को किसी भी तरह का नुकसान पहुँचाने की दशा में सभी उम्मीदवार अलग-अलग और संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे।
11. चुनाव की अवधि में उम्मीदवार परिसर में जुलूस और/अथवा जनसभा आयोजित कर सकते हैं, बशर्ते कक्षायें, अन्य शैक्षणिक कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम से सम्बन्धित क्रियाकलाप किसी भी रूप में बाधित न हों। साथ ही ऐसे आयोजन विश्वविद्यालय के मुख्य कुलानुशासक एवं मुख्य चुनाव अधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त होने पर ही किये जा सकते हैं।
12. लाउडस्पीकर, वाहनों तथा पशुओं का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए सर्वथा वर्जित होगा। चुनाव अवधि में उम्मीदवार या उनके समर्थकों के लिए विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार का हथियार/आग्नेयाशस्त्र लाना अथवा उसका प्रयोग करना सर्वथा वर्जित होगा। इसके उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी तथा उसका अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है।

13. मतदान के दिन छात्र संगठन एवं उम्मीदवार :
  - (i) चुनाव अधिकारी के साथ सहयोग करते हुए यह सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव शांतिपूर्वक एवं व्यवस्थित रूप से सम्पन्न हों तथा मतदाता बिना किसी क्षोभ या बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग पूरी स्वतंत्रता के साथ करें।
  - (ii) पेयजल के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भोज्य पदार्थ, ठोस या तरल खाद्य वितरित नहीं करेंगे।
  - (iii) कोई प्रचार सामग्री वितरित नहीं करेंगे।
14. मतदाताओं व चुनावी प्रक्रिया में शामिल शिक्षक/शिक्षणेत्तर सदस्यों के अतिरिक्त कोई भी बाहरी व्यक्ति विश्वविद्यालय के मुख्य कुलानुशासक द्वारा निर्गत वैध पास/अधिकार पत्र के बिना मतदान केन्द्र में प्रवेश नहीं करेगा।
15. चुनाव सम्पादन से सम्बन्धित यदि कोई शिकायत/समस्या हो तो कोई भी उम्मीदवार उस समस्या को पर्यवेक्षक/मुख्य चुनाव अधिकारी के संज्ञान में ला सकता है। पर्यवेक्षक विद्यार्थियों के नामांकन की प्रक्रिया पर भी नजर रखेंगे।
16. छात्र संघ चुनाव से पूर्व चुनाव अवधि में पोस्टर/बैनर इत्यादि केवल परिसर में पूर्व निर्धारित स्थल पर केवल प्रत्याशियों द्वारा ही लगाये जा सकते हैं । निर्धारित स्थल के अतिरिक्त पोस्टर/बैनर लगाने पर उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।
17. सभी उम्मीदवार संयुक्त रूप से चुनाव समाप्ति के 48 घंटों में अन्दर मतदान क्षेत्र की सफाई (पोस्टर/बैनर हटाना इत्यादि) के लिए जिम्मेदार होंगे।
18. उपर्युक्त किसी भी नियम का उल्लंघन होने की दशा में संबंधित उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है अथवा किसी भी पद पर हुआ उसका निर्वाचन निरस्त किया जा सकता है। मुख्य चुनाव अधिकारी और विश्वविद्यालय अधिकारी उसके विरुद्ध समुचित अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कर सकते हैं।
19. उपर्युक्त आचरण संहिता के अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता 1860 के कतिपय प्रावधानों (सैक्शन-153 ए तथा चैप्टर 9-ए- आफन्सेस रिलेटिंग टू इलैक्शन) को भी छात्र संघ चुनाव में लागू किया जा सकता है।
20. चुनाव प्रक्रिया के दौरान परिसर में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी मुख्य कुलानुशासक की होगी । किसी भी गम्भीर नियम विरुद्धता/अनियमितता की स्थिति में अथवा आपराधिक घटना की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा पुलिस प्रशासन में शीघ्रता के साथ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। किन्तु इसमें छः घंटे से अधिक का विलम्ब नहीं होना चाहिए।

# डॉ० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

विश्वविद्यालय परिसर छात्र संघ 2017-18

## प्रारूप

(उम्मीदवार द्वारा 10 रू० के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र)

मैं .....  
पुत्र/पुत्री श्री .....  
निवासी - .....  
हाल निवासी - .....  
शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि -

फोटो

1. मैं सत्यभाव से विधिवत् स्वीकार करता हूँ कि मैंने डॉ० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय परिसर छात्र संघ, आगरा के लिए होने वाले चुनावों के दिशा-निर्देशों एवं नियमों को अच्छी तरह पढ़ लिया है / समझ लिया है और मैं इनसे सहमत हूँ।
2. चुनाव नामांकन की तिथि को मेरी आयु ..... वर्ष है और मैं स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा/एम०फिल०/पी०एच०डी० पाठ्यक्रम का/की छात्र/छात्रा हूँ।
3. मैंने सर्वप्रथम विश्वविद्यालय में वर्ष ..... में ..... विभाग के ..... के छात्र/छात्रा के रूप में प्रवेश लिया था।
4. मैं पुनः विधिवत् स्वीकार करता हूँ कि मैंने विश्वविद्यालय के शिक्षण विभाग में प्रवेश लेने के पश्चात् :
  - (i) मैंने विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अथवा 75 प्रतिशत उपस्थिति दी है।
  - (ii) इस चुनाव वर्ष में मेरे ऊपर कोई शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क व अन्य किसी प्रकार का शुल्क बकाया नहीं है।
5. मेरा कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है अर्थात् मैंने न कोई आपराधिक कृत्य किया है और न ऐसा प्रयास किया है। मेरे विरुद्ध न्यायालय में कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है। मेरे विरुद्ध विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की है।
6. मुझे ज्ञात है कि मुझे किसी पदाधिकारी के पद पर चुनाव लड़ने हेतु केवल एक अवसर प्रदान किया जायेगा।
7. मैं विश्वविद्यालय का नियमित/पूर्णकालिक छात्र/छात्रा हूँ ।
8. मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा हुआ हूँ और न ही भविष्य में अपने पद पर रहते हुए जुड़ूँगा।
9. यदि मैं नियमावली में उल्लेखित आचरण संहिता का उल्लंघन करने का दोषी पाया/पायी जाता/जाती हूँ तो मेरा अभ्यर्थन/निर्वाचन रद्द कर दिया जाये ।
10. मैंने पूर्व में विश्वविद्यालय परिसर छात्र संघ चुनावों में किसी भी पद पर चुनाव नहीं लड़ा है।